



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

कार्यालय: आयकर आयुक्त-1, पटना

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX-I, PATNA

द्वितीय तल, केंद्रीय राजस्व भवन, वीरचंद पटेल पथ, पटना- 800001

2nd Floor, Central Revenue Building, Veerchand Patel Path, Patna-800 001

सं.सं.आ0आ0-1/पटना/80 जी (5)/ तक0/2013-14/1704-
दिनांक, पटना, 28/2/2014

सेवा में,

श्रीमान् कुष्ठ निवारण
प्रतिष्ठान -

श्रीमान् गजानन - मधुवा
जिला - कैमूर - 821101

महाशय, / Sir

विषय:- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5) के तहत रिन्यूअल की स्वीकृति के लिए आवेदन -

Sub: Application for grant of Approval/renewal u/s 80G(5) of I.T. Act, 1961 -

उपर्युक्त न्यास/संस्थान के दिनांक 9/12/2013 के फार्म नं. 10 जी में किए गए आवेदन के संदर्भ में, यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त न्यास/संस्थान को किए गए दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5) के तहत, उसमें दी गई सीमा के अंदर, कटौती योग्य है।

With reference to application in form No.10G made by the aforesaid trust/institution on, it is certified that donations made to the trust/institution shall qualify for deduction u/s 80G(5) of the Income-tax Act, 1961, subject to the limits prescribed therein.

2. उपर्युक्त छूट निर्धारण वर्ष 2014-15 से वैध है। जब तक कि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा किसी पूर्व तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रद्द नहीं किया जाता।

This exemption is valid from A.Y.....onwards unless cancelled by the undersigned on any prior date subject to the following conditions:-

- (i) दाताओं को जारी की गई रसीदों में इस प्रमाणपत्र के उपर्युक्त नंबर और तारीख तथा वह अवधि जिसके लिए यह वैध है, का उल्लेख करें।

Receipts issued to the donors should bear the number and date of this certificate and indicate the period for which this certificate is valid.

- (ii) उपर्युक्त न्यासी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(15), 11,12,13 एवं 80 जी की प्रावधानों का पालन करते रहना चाहिए।

The aforesaid entity should continue to fulfill the requirements of section 2(15), 11, 12, 13 and 80G of the IT Act, 1961.

Contd. P/2

- (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4ए)/4(सी)/4(डी) के तहत आडिट रिपोर्ट के साथ, जहाँ लागू हो, संबंधित निर्धारण अधिकारी को नियत तारीख तक आय एवं व्ययके लेखा विवरण एवं बैलेन्स-शीट के साथ आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।

The Statement of Income & Expenditure Account and Balance Sheet are furnished to the concerned Assessing Officer by the due date of furnishing of return of income under section 139(4A)/4(C)/4(D) of the I.T. Act, 1961 every year along with the audit report, wherever applicable.

- (iv) अगर विलेख एसोसिएशन ज्ञापन/निधि/संस्थान/न्यास के नीति नियमों में जब भी कोई संशोधन हो तो संबंधित निर्धारण अधिकारी को तुरंत सूचित किया जाए।

Amendments if any made to the deed of statement/memorandum of Association/Rules Regulations of the Fund/Institution/Trust are intimated to the concerned Assessing Officer, immediately whenever made.

(अरविन्द कुमार)

आयकर आयुक्त-1, पटना।


Commissioner of Income Tax-1, Patna.

ज्ञापक सं:-आ0आ0-1/पटना/80 जी (5)/ तक0/2013-14/
दिनांक, पटना

प्रतिलिपि:-

Copy to:-

- (i) मुख्य आयकर आयुक्त-1, पटना।
(ii) संयुक्त/अपर आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र- 3, पटना/गया।
(iii) सहायक/उपायुक्त आयकर, अंचल- 3, पटना/गया।



(तरुण विकास)

(तरुण विकास)

आयकर अधिकारी (तक0),

Income Tax Officer (Tech.),

कृते: आयकर आयुक्त-1, पटना।।

For: Commissioner of Income Tax-1, Patna.